

# न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: गौरव अग्रवाल आई.ए.एस  
प्रकरण संख्या 20/2020 अपील (राजस्व)  
GCMS No. 2020/00024

श्रीमती साधना धर्मपत्नी श्यामलाल माली मृतक के बजाय

1. श्यामलाल पति स्व. साधना निवासी: खारा कुंआ, तहसील गिर्वा, उदयपुर
2. हितेश पुत्र स्व. साधना निवासी: खारा कुंआ, तहसील गिर्वा, उदयपुर
3. सोनिया पुत्री स्व. साधना निवासी: खारा कुंआ, तहसील गिर्वा, उदयपुर

— अपीलान्तगण

## बनाम

श्री नरेन्द्र पिता नारायणलाल माली निवासी-323, खारा कुंआ, न्यू भूपालपुरा, आयड, तहसील-गिर्वा, उदयपुर

— रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम बनाराजगी उप-तहसीलदार, गिर्वा, नामान्तरकरण संख्या 5010 दिनांक 26.09.2018

अधिवक्तागण : श्री लोकेश गहलोत, अधिवक्ता अपीलान्त



## निर्णय

दिनांक:- 19/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा आयड, पटवार हल्का मादड़ी पुरोहितान, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शहर, तहसील-गिर्वा, जिला उदयपुर के खाता संख्या 220 के आराजी संख्या 1507 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि के सहखातेदार काश्तकार अम्बालाल जी माली थे जिन्होंने उक्त भूमि बाबत एक विक्रय इकरार दिनांक 30.01.2006 को अपीलान्त के पक्ष में निष्पादित किया। अम्बालाल जी द्वारा उक्त विक्रय इकरार की पालना नहीं किये जाने से अपीलान्त के द्वारा अम्बालाल के विरुद्ध सक्षम जिला न्यायालय, उदयपुर में विक्रय इकरार की विनिर्दिष्ट पालना का वाद प्रस्तुत किया गया उक्त प्रकरण में बाद सुनवाई अपीलान्त के पक्ष में दिनांक 25.03.2011 को डिक्री हो गया जिसमें अम्बालाल को विक्रय पत्र अपीलान्त के पक्ष में निष्पादित किये जाने का आदेश पारित कर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। उक्त निर्णय की पालना हेतु अपीलान्त ने माननीय जिला न्यायालय में

जिला कलक्टर  
उदयपुर

हकरसी प्रस्तुत की जिसका प्रकरण संख्या 248/11 है उक्त हकरसी में विक्रय पत्र पंजीयन माननीय जिला न्यायालय से होता उससे पहले ही अम्बालाल माली का स्वर्गवास हो गया जिससे उनके विधिक प्रतिनिधि पुत्र क्रमशः डालचन्द, नारायणलाल पुत्री खुमाणीबाई, विधाबाई ने गुप्तरूप से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 4230 दिनांक 07.09.2012 को तहसीलदार, गिर्वा से स्वीकृत करवा लिया। उक्त विरासत के नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्त को होते ही अपीलान्त ने उक्त नामान्तरकरण जिला न्यायालय के निर्णय की डिक्री के आधार पर खारिज करवाने की अपील आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसका प्रकरण संख्या 34/14 अपील साधना बनाम डालचन्द जिसका निर्णय 17.06.2014 को अपीलान्त के पक्ष में किया जाकर उक्त विरासत के नामान्तरकरण को सिविल वाद के निर्णय के विरुद्ध माना गया और उसे खारिज कर दिया गया। रेस्पॉडेंट ने अम्बालाल से अपने पक्ष में उक्त गलत तथाकथित दानपत्र दिनांक 09.08.2010 व 16.04.2010 के आधार पर उसी नामान्तरकरण संख्या 4230 दिनांक 07.09.2012 को खारिज कराने की अपील माननीय न्यायालय में दानपत्र के आधार पर प्रस्तुत की, जिसका प्रकरण संख्या 176/14 अपील नरेन्द्र बनाम डालचन्द था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 29.11.2016 को खारिज कर दिया गया अर्थात् रेस्पॉडेंट का दानपत्र अपीलान्त की डिक्री के सामने गौण मात्र था। अपीलान्त की अपील संख्या 34/14 में नामान्तरकरण संख्या 4230 दिनांक 07.09.2012 खारिज हो जाने के बाद उक्त भूमि पुनः अम्बालाल जी माली के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हो चुकी थी जो सिविल न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में अपीलान्त के नाम होनी थी, लेकिन उससे पहले ही रेस्पॉडेंट ने अपीलान्त के परोक्ष में उपतहसीलदार गिर्वा से सांठ-गांठ कर शुन्य प्रभाव दान पत्र के आधार पर अम्बालाल जी माली से सीधे ही तथाकथित नामान्तरकरण अपने नाम करवा लिया, जो कतई गलत होकर काबिल निरस्त के है। तहसीलदार एवं उपतहसीलदार को पूर्ण जानकारी है कि सिविल न्यायालय की डिक्री के आधार पर पहले के नामान्तरकरण खारिज हो चुके है, तो पुनः जानबुझकर इस प्रकार का दानपत्र के आधार पर नामान्तरकरण सीधे ही अपीलान्त को सुने बिना स्वीकृत कर दिया जाना न्याय एवं विधि के विपरित है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का उपतहसीलदार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उपतहसीलदार ने रेस्पॉडेंट को लाभ पहुंचाने के लिए उक्त नामान्तरकरण अपीलान्त की परोक्ष में गुप्तरूप से स्वीकृत किया गया है। उप तहसीलदार ने जानबुझकर अपीलान्त को नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व सूचना पत्र जारी नहीं किया और न ही सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया, यदि सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिया जाता जो इस प्रकार का गैर कानूनी नामान्तरकरण कदापि स्वीकृत नहीं



जिला कलक्टर  
 उदयपुर

किया जा सकता था। उक्त नामान्तरकरण सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के प्रभाव में होते हुए भी खोला गया नामान्तरकरण है, जिसके संबंध में पूर्व में भी माननीय न्यायालय से निर्णय पारित हो चुका है, उक्त नामान्तरकरण आरम्भ से ही शुन्य है। ऐसे नामान्तरकरण से रेस्पोंडेंट का कोई हित व अधिकार वादग्रस्त आराजीयात में प्राप्त नहीं हो जाता है और अपीलान्ट के अधिकार उक्त भूमि पर समाप्त नहीं हो जाते हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 5010 दिनांक 26.09.2018 को खारिज फरमाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में पूर्व की स्थिति कायम फरमायी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित। जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा आयड़, पटवार हल्का मादडी पुरोहितान भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शहर, तहसील-गिर्वा, जिला उदयपुर के खाता संख्या 220 के आराजी संख्या 1507 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि के सहखातेदार काश्तकार अम्बालाल जी माली थे जिन्होंने उक्त भूमि बाबत एक विक्रय इकरार दिनांक 30.01.2006 को अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किया। अम्बालाल जी द्वारा उक्त विक्रय इकरार की पालना नहीं किये जाने से अपीलान्ट के द्वारा अम्बालाल के विरुद्ध सक्षम जिला न्यायालय, उदयपुर में विक्रय इकरार की विनिर्दिष्ट पालना का वाद प्रस्तुत किया गया उक्त प्रकरण में बाद सुनवाई अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 25.03.2011 को डिक्री हो गया जिसमें अम्बालाल को विक्रय पत्र अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किये जाने का आदेश पारित कर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। उक्त निर्णय की पालना हेतु अपीलान्ट ने माननीय जिला न्यायालय में हकरसी प्रस्तुत की जिसका प्रकरण संख्या 248/11 है उक्त हकरसी में विक्रय पत्र पंजीयन माननीय जिला न्यायालय से होता उससे पहले ही अम्बालाल माली का स्वर्गवास हो गया जिससे उनके विधिक प्रतिनिध पुत्र क्रमशः डालचन्द, नारायणलाल पुत्री खुमाणीबाई, विधाबाई ने गुप्तरूप से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 4230 दिनांक 07.09.2012 को तहसीलदार, गिर्वा से स्वीकृत करवा लिया। उक्त विरासत के नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को होते ही अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरकरण जिला न्यायालय के निर्णय की डिक्री के आधार पर खारिज करवाने की अपील आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसका प्रकरण संख्या 34/14 अपील साधना बनाम डालचन्द जिसका निर्णय 17.06.2014 को अपीलान्ट के पक्ष में किया जाकर उक्त विरासत के नामान्तरकरण को सिविल वाद के निर्णय के विरुद्ध माना गया और उसे खारिज कर दिया गया। रेस्पोंडेंट



जिला कलक्टर  
 उदयपुर

ने अम्बालाल से अपने पक्ष में उक्त गलत तथाकथित दानपत्र दिनांक 09.08.2010 व 16.04.2010 के आधार पर उसी नामान्तरकरण संख्या 4230 दिनांक 07.09.2012 को खारिज कराने की अपील माननीय न्यायालय में दानपत्र के आधार पर प्रस्तुत की, जिसका प्रकरण संख्या 176/14 अपील नरेन्द्र बनाम डालचन्द था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 29.11.2016 को खारिज कर दिया गया अर्थात् रेस्पोंडेंट का दानपत्र अपीलान्ट की डिक्री के सामने गौण मात्र था। अपीलान्ट की अपील संख्या 34/14 में नामान्तरकरण संख्या 4230 दिनांक 07.09.2012 खारिज हो जाने के बाद उक्त भूमि पुनः अम्बालाल जी माली के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हो चुकी थी जो सिविल न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में अपीलान्ट के नाम होनी थी, लेकिन उससे पहले ही रेस्पोंडेंट ने अपीलान्ट की परोक्ष में उपतहसीलदार गिर्वा से सांठ-गांठ कर शुन्य प्रभाव दान पत्र के आधार पर अम्बालाल जी माली से सीधे ही तथाकथित नामान्तरकरण अपने नाम करवा लिया, जो कतई गलत होकर काबिल निरस्त के है। तहसीलदार एवं उपतहसीलदार को पूर्ण जानकारी है कि सिविल न्यायालय की डिक्री के आधार पर पहले के नामान्तरकरण खारिज हो चुके है, तो पुनः जानबुझकर इस प्रकार का दानपत्र के आधार पर नामान्तरकरण सीधे ही अपीलान्ट को सुने बिना स्वीकृत कर दिया जाना न्याय एवं विधि के विपरित है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का उपतहसीलदार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उपतहसीलदार ने रेस्पोंडेंट को लाभ पहुंचाने के लिए उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट की परोक्ष में गुप्तरूप से स्वीकृत किया गया है। उप तहसीलदार ने जानबुझकर अपीलान्ट को नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व सूचना पत्र जारी नहीं किया और न ही सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया, यदि सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिया जाता जो इस प्रकार का गैर कानूनी नामान्तरकरण कदापि स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। उक्त नामान्तरकरण सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के प्रभाव में होते हुए भी खोला गया नामान्तरकरण है, जिसके संबंध में पूर्व में भी माननीय न्यायालय से निर्णय पारित हो चुका है, उक्त नामान्तरकरण आरम्भ से ही शुन्य है। ऐसे नामान्तरकरण से रेस्पोंडेंट का कोई हित व अधिकार वादग्रस्त आराजीयात में प्राप्त नहीं हो जाता है और अपीलान्ट के अधिकार उक्त भूमि पर समाप्त नहीं हो जाते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 5010 दिनांक 26.09.2018 को खारिज फरमाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में पूर्व की स्थिति कायम फरमायी जावे।



जिला कलक्टर  
 उदयपुर

प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध माननीय सिविल न्यायालय एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम आयड पटवार हल्का मादडी पुरोहितान के आराजी संख्या 1507 रकबा 0.0250 हे. भूमि के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा 25.03.2011 स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। इसके पश्चात विरासत एवं दान पत्र के आधार पर पारित नामान्तरकरण की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई जिसे क्रमशः दिनांक 17.06.2014 एवं 29.11.16 को खारिज किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दानपत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 5010 दिनांक 26.09.2018 पारित किया गया है जो कि माननीय जिला न्यायालय, उदयपुर के निर्णय व डिक्री के प्रभाव में होते हुए एवं दिनांक 25.03.2011 से स्थगन के बावजूद किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना भी की जा चुकी है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम आयड पटवार मण्डल मादडी पुरोहितान का नामान्तरकरण संख्या 5010 दिनांक 26.09.2018 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार गिर्वा को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(गौरव अग्रवाल)  
 जिला कलक्टर  
 उदयपुर